भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2898

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

अनुसूचित जातियों में उद्यमशीलता

2898. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम पूंजी निधि शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्देश्य के लिए कितनी निधि चिह्नित की गई है तथा उक्त निधि को प्रचालित करने के लिए किस नोडल एजेंसी की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद के लिए व्यावसायिक पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों के लिए 'हरित व्यवसाय योजना' भी शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त योजनाओं से कितने अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है तथा देश में अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) और (ख): अनुसूचित जातियों को रियायती ऋण प्रदान करके उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपये के कुल कोष के साथ अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि योजना (वीसीएफ-एससी) को 16 जनवरी, 2015 को शुरू किया गया था। इसमें 4% के कूपन दर पर 10 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड इस फंड का प्रबंधक है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी) ने वर्ष 2017-18 में हरित व्यवसाय योजना (ग्रीन बिजनेस स्कीम) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य आय सृजन साथ-साथ जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाली गतिविधियों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय

वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस योजना में सौर ऊर्जा गैजेट, पॉली हाउस, इलेक्ट्रिक वाहन जैसी आय सृजन गतिविधियों को शामिल किया गया है, जो ग्रीन हाउस के प्रभाव को कम कर सकते हैं या अनुकूलन पहलों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एनएसएफडीसी 30.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजना के 90% तक ऋण प्रदान करता था, जिसमें ऋण की मात्रा के आधार पर लाभार्थियों के लिए ब्याज दरें 4% से 7% तक रहती थीं।

यह योजना वर्ष 2023-24 में निधियों की मांग में कमी के कारण बंद कर दी गयी तथा इसे एनएसएफडीसी की सुविधा और उत्कर्ष ऋण की नव प्रवर्तित योजनाओं में शामिल कर लिया गया।

इस योजना के बंद होने के समय, 8 राज्यों के 4316 लाभार्थियों को 53.85 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच उद्यमशीलता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। प्रमुख कदमों में रियायती ऋण योजनाएं, अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि, अम्बेडकर सामाजिक नवप्रवर्तन और इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) के माध्यम से छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए इनक्यूबेशन सहायता और विश्वास योजना जैसे ब्याज अधिस्थगन कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, पीएम दक्ष योजना जैसी कौशल विकास पहल तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है, जबकि पीएम सूरज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म वित्तीय समावेशन योजनाओं को एकीकृत करते हैं। स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसे अन्य सरकारी कार्यक्रम छोटे व्यवसायों को और अधिक सशक्त बनाते हैं, तथा वंचित समुदायों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हैं।

*****